(155)

न्यायालयः- श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर (5)

आलोक कुमार श्रीवास्तव अभि०
11-11-16

11-11-16

P. 3854 - I-16

सेवकराम चौरसिया उम्र साल पिता सुनके लाल चौरिया

502
11-11-16

साकिन दमोह

--- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

① माधव प्रसाद चौरसिया उम्र साल पिता लूले चौरसिया

साकिन दमोह

--अनावेदकगण

② म.प्र. शासन

पुनरीक्षण के अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

/x/ तथ्य /x/

अनावेदक ने खसरा नंबर 1386/25 रकवा 0.405 हे0के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय दमोह के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके आधार पर राजस्व प्र0क्र0 163/12 वर्ष 2015-16 कायम किया गया ।

महत्व पूर्ण विचारणीय तथ्य यह भी था, और है कि राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1386/25 रकवा 0.405 हे. दर्ज ही नही था और ना हैं ।

सीमांकन कार्यवाही के दौरान आलोच्य आदेश के अवलोकन से सर्व प्रथम बार पता चला कि 1386/25 का बटांक नक्शे मे दर्ज करनेहेतु भी कार्य--वाही हुई परन्तु इस प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2016 से लेकर मौके पर संपूर्ण कार्यवाही हो जाने के पश्चात की आदेश पत्रिका दिनांक 04.08.2016 तक बटांक करनेहेतु कोई निर्देश या आदेश दिया ही नही गया था, और ना ही राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन/ एवं पंचनामा दिनांक 03.08.2016 बटांक किया गया का उल्लेखहैं, चूंकि पुनरीक्षण कर्ता को जानकारी मिली थी तो उसने अपने मौजे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3854-एक/2016 जिला दमोह सेवकराम विरूद्ध माधव व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार दमोह के प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 07-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 18.1.19 सदस्य	